देवघर समहारणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

आज दिनांक 22.04.2016 को देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समति का बैठक प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, देवघर की अध्यक्षता में प्रशासक–सह– अपर समाहर्त्ता, देवघर के कार्यालय कक्ष में की गयी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :–

1. माननीय सांसद, गोड्डा लोक सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि।
2. माननीय विधायक, देवघर विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि।
3. प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, देवघर।
4. जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर।
5. अंचल अधिकारी, देवघर के प्रतिनिधि।
6. श्रीमती मुरली देवी, सदस्य।
7. श्री अरूण दास, सदस्य।
8. श्री दिनेश मिर्धा, सदस्य।
9. श्रीमती मीरा सिंह, सचिव, कृति संस्था, देवघर।
10. श्रीमती पूनम देवी, मुखिया–ग्राम पंचायत, गौरीपुर।
11. श्री सूरज मिर्धा, मुखिया–ग्राम पंचायत, सातर खरपोश।
12. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, मुखिया–ग्राम पंचायत, भिखना।

1. सर्व प्रथम जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम जो आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक–15/रा0, दिनांक--23.02.2016 से स्वीकृत है के बारे में जानकारी दी गयी। सभी सदस्यों द्वारा बताया गया कि स्वीकृत स्कीम की सी0डी0 बनाकर हमलोगों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को अवगत कराया जा सके।

2. अधिकांश सदस्यों का कहना है कि सभी मौजा के विस्थापितों को केवल नैयाडीह ग्राम में नहीं बसाकर अन्यत्र मोहनपुर प्रखण्ड के भिखना पंचायत के जमुनिया या दुधानियां ग्राम में भी बसाया जाय। चूकिं सभी समुदाय के व्यक्ति विस्थापित हुए है जिनका धर्म और समाजिक रहन–सहन अलग–अलग है। इसलिए धर्म और सामाजिक रहन–सहन के आधार पर अलग–अलग स्थानों पर पुनर्वासित कराने की व्यवस्था किया जाय।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर ने बताया कि इस कार्यालय के पत्रांक–06/भू अ0, दिनांक–04.01.2016 से मोहनपुर अंचल के भिखना पंचायत अंतर्गत जमुनिया या दुधानिया मौजा में पुनवार्सित करने हेतु लगभग 30 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण/सरकारी भूमि का हस्तांतरण हेतु निदेशक, नागर विमानन विभाग, झारखंड, रांची से अधियाचना की मांग की गयी है जो अप्राप्त है।

प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, देवघर द्वारा निदेश दिया गया कि अधियाचना हेतु पुनः स्मारित करें।

3. कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया कि विस्थापितों को Single-Single (एकल) युनिट घर बनाकर पुनर्वासित किया जाय न की बहुमंजिला इमारत में। यदि घर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो एक परिवार को पुनर्वासित होने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाय। क्योंकि हमलोगों का आय का साधन कृषि आधारित पशुपालन भी है जो बहुमंजिला इमारत में संभव नहीं है।

प्रशासक/जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि जो विस्थापित बहुमंजिला मकान में रहना पसंद नहीं करेंगे उन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित आवास योजना के तहत् निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विस्थापित परिवारों को 636000/– (छः लाख छत्तीस हजार)रुपये मात्र का भुगतान किया जायेगा।

इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि एक युनिट के रूप में सभी को पुनर्वासित करने में काफी भूमि अर्जन करना होगा, जो कि परियोजना के लिए तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।

4. मौजा–असहना, बाबुपूर, भितिया, कटिया, पहाड़पुर एवं सिंहपुर योगडीह के अलावे जो पूर्व में जिन मौजा भूमि अधिग्रहण किया गया है उस मौजा के विस्थापितों को भी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का लाभ दिये जाने की मांग सभी सदस्यों द्वारा की गयी।

   जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि पूर्व में अधिग्रहित भूमि से विस्थापित परिवारों का सर्वे कर लिया गया है। जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही स्कीम की स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

5. सदस्यों द्वारा बताया गया कि जिस मौजा का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हुआ है उस मौजा का यथाशीघ्र प्राक्कलन स्वीकृत करा कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय।

   जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि मौजा–असहना, बाबुपूर, भितिया, कटिया, पहाड़पुर एवं सिंहपुर योगडीह में भू अर्जन अधिनियम–2015 के धारा 22 के तहत् कार्रवाई चल रही है। संभवतः मौजा–असहना, पहाड़पुर, बाबुपुर एवं सिंहपुर योगीडीह इस माह के अंत तक या मई के प्रथम सप्ताह में धारा–22 की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। तद्उपरांत प्राक्कलन स्वीकृति की प्रकिया प्रारंभ की जायेगी।

6. सभी सदस्यों द्वारा बताया गया कि कुछ मौजा में फसल के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। जिससे बहुत कम मुआवजा मिला है। हमालोगों को एक परियोजना एक दर के आधार पर भूमि का मुआजवा का भुगतान किया जाय।

   प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, देवघर द्वारा बताया गया कि इस संबंध में सरकार से पत्राचार की गयी है। सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

7. सदस्यो द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों का आपसी विवाद के कारण मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।

   जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर द्वारा बताया गया कि जिन्हें आपसी विवाद के कारण मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है, वैसे एवार्डियों/आपत्तिकर्ताओं को अंचल अधिकारी से वंशावली प्राप्त कर समर्पित करने के लिए कहा गया है। बहुत से एवार्डी/आपत्तिकर्ता के द्वारा कार्यालय में आकर कहते है कि अंचल अधिकारी द्वारा वंशावली नहीं दिया जा रहा है।

   अंचल निरीक्षक, देवघर द्वारा बताया गया कि जमाबंदी रैयत के पुत्री द्वारा आपत्ति या वंशावली की मांग की जाती है। जिसका सत्यापन हेतु स्थलीय जांच के कम में न तो रैयतों के वंशज द्वारा सही जानकारी नहीं दी जाती है या पुत्री को छुपा लिया जाता है। जिसके कारण वंशावली बनाने में कठिनाई होती है। इसके लिए एक दल गठित किया जाय।

   प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, देवघर द्वारा बताया गया कि वंशावली बनाना अंचल अधिकारी का कार्य है वो अपने स्तर पर दल गठित कर सही–सही वंशावली दें।

   अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

प्रशासक–सह–अपर समहार्त्ता
देवघर।

ज्ञापांक : 156 /भू अ0, देवघर, दिनांक 23 वीं अप्रैल, 2016 ई0।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर/मोहनपुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : निदेशक, नागर विमानन, विभाग झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : निदेशक (भू अर्जन) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : माननीय सांसद, गोड्डा लोक सभा क्षेत्र/ माननीय विधायक, देवघर विधान सभा क्षेत्र को सूचनार्थ समर्पित।

प्रशासक–सह–अपर समहार्त्ता
देवघर।